न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 194/2016 **दायरा दिनांक : 07.10.2016**

उनवान

चुन्नीलाल आत्मज कंवरलाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मानसिंह आत्मज हीरा लाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— रत्तीबाई पत्नी हीरालाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— रमेश आत्मज कंवरलाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

4— लालचन्द आत्मज कंवरलाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

5— प्रमोद आत्मज रामलक्ष्मण, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

6— संतोष बाई आत्मज रामलक्ष्मण, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

7— कमला बाई पत्नी रामलक्ष्मण, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

8— भैरू लाल आत्मज कंवरलाल, जाति धाकड, निवासी पीपल्या, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

9— बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रीछत्रपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री पूरीलाल राठौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम लाल एवं श्री प्रवीण पोषवाल

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 179/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम पीपल्या, तहसील पचपहाड में खाता संख्या नया 551 पुराना 472 में आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 19 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 91 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 155

रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 745 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा कुल 14 किता की 40 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है । इस आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा है । मौके पर 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है परन्तु रेकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है । आराजी शामलाती खाते में रहने से आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है और वादी अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर पा रहा है । अतः वादी का खाता पृथक किया जावे, । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.07.2016 के दावा स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में अपीलांटगण व वादीगण में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी थी । पक्षकारों की अनुपस्थिति में सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में बिना किसी प्रकार की सहमति के निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 17.06.2016 को वादीगण उपस्थित हुए हैं परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसमें आगामी तारीख दिनांक 21.06.2016 नियत की गई है इसके उपरान्त दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली फिर लोक अदालत में रखी गयी और इस दिनांक को भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड के आधार पर दावा स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों की पालना करते हुए जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ नयायालय में दिनांक 10.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा